न्यायालयः विशेष न्यायाधीश उत्पाद, द्वितीय, जहानाबाद।
जिला–जहानाबाद,बिहार।
उपस्थित– मो0 एनायत करीम
विशेष न्यायाधीश,उत्पाद द्वितीय, जहानाबाद।

(निर्णय की तिथि–20.06.2025)
उत्पाद वाद संख्या–866/2017

सूचक/अभियोजन	राज्य (द्वारा सूचक, रामस्वरूप प्रसाद, प्र0अ0नि0म0) अरवल।
अभियुक्त	**लव कुमार उम्र 40 वर्ष**
अभियोजन की ओर प्रस्तुत	श्री प्रमोद कुमार (विद्वान विशेष लोक अभियोजक पदाधिकारी)
अभियुक्तों की ओर प्रस्तुत	श्री पप्पु कुमार (विद्वान अधिवक्ता)

20.6.25

निर्णय

01. इस वाद के एक मात्र अभियुक्त **लव कुमार** के विरूद्ध 30ए0 एवं 30सी बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर वाद–विचारण का दावा किया गया।

Special Judge Excise Court No.2 Jehanabad

02. अभियोजन वाद का सारांश ये है कि दिनांक–18.07.2017 को निरीक्षक उत्पाद अरवल के पर्यवेक्षण में लव कुमार के घर पर छापेमारी किया गया। विधिवत तलाशी की कार्रवाई की गयी। घटनास्थल से अभियुक्त फरार पाये गये। लव कुमार के घर से दस टिना में रखा महुआ मिठा प्रत्येक में 15 किलोग्राम कुल 150 किलोग्राम एवं 08 किलोग्राम महुआ फुल बरामद किया गया। स्वतंत्र गवाहों के निशानदेही पर लव कुमार के विरूद्ध 30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विरूद्ध अभियोग पत्र कायम किया गया।

03. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर उत्पाद वाद संख्या–866/2017 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के पश्चात अभियोग–पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर अपराध का संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्त का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें इन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया तथा अपने बचाव में कहा कि इन्हें झूठा फंसाया गया।

05. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश उत्पाद, द्वितीय, जहानाबाद।
जिला–जहानाबाद, बिहार।
उत्पाद वाद संख्या–866/2017
सरकार बनाम लव कुमार

मंतव्य

06. अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में दिनांक–14.06.2023 को आरोप का गठन कियां गया है। उसके पश्चात साक्षियों के विरूद्ध सम्मन निर्गत किया गया है। अभियोजन को अभिलेख से कई बार अवगत कराया जा चुका है। अभियोजन द्वारा एक भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां तक कि साक्षियों की उपस्थिति हेतू उत्पाद अधीक्षक, अरवल को मेमो सं0–69/2024 निर्गत किया गया, जबकि इस वाद के सभी साक्षीगण् उत्पाद विभाग से संबंधित है और सरकारी सेवक है। अतः यह वाद साक्ष्य के अभाव में साक्ष्यविहिन हो जाता है। अतः

आदेश

इस वाद के एक मात्र अभियुक्त **लव कुमार** को धारा–30ए0 एवं 30सी बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत आरोप से साक्ष्य के अभाव में रिहा किया जाता है। अभियुक्त एवं उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

मो० एनायत करीम

विशेष न्यायाधीश उत्पाद–2 जहानाबाद,

20.06.2025

लेखापित

मो० एनायत करीम

विशेष न्यायाधीश उत्पाद–2, जहानाबाद,

20.06.2025

Special Judge Excise Court No-2 ★ Jehanabad ★